

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 375/2025

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

तलविन्द्र सिंह भाटी पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख उम्र 39 वर्ष निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।

--वादीगण

बनाम्

1. पूनम पत्नी परविन्द्र जाति भाट निवासी ढाणी 2 आईडीजी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मंगतराम पुत्र त्रिलोकराम जाति भाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
3. मूर्तिदेवी पत्नी पुत्र त्रिलोकराम जाति भाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
4. रूलदूराम पुत्र पुत्र सुन्दरराम जाति भाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
5. सीमादेवी पुत्री सुन्दरराम जाति भाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
6. एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा संगरिया
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा दीनगढ़।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मालारामपुरा।
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया



प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 24.3.2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री संतोष कुमार सोलकी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री राधेश्याम झोरड़ वकील प्रति.सं. 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 2 आईडीजी

1. तलविन्द्रसिंह भाटी पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख सा.नुकेरा प.न. 144/122 मु.न. 9 किला नम्बर 16/1/0.228 25/1/0.228, 25/2/0.017 है.गै.मु.रास्ता, 24/0.033 है.
2. पूनम पत्नी परविन्द्र 0.169 हि. मंगतराम पुत्र त्रिलोकाराम 0.169 हि. मूर्तिदेवी पत्नी त्रिलोकाराम 0.168 हि. रूलदूराम पुत्र सुन्दरराम 0.253 हि. सीमादेवी पुत्री सुन्दरराम 0.253 हि. जाति भाट सा.नुकेरा प.न. 144/122 मु.न. 9 किला नम्बर 21 ता 23/0.759 है. 24/0.220 16/2/0.025, 16/2/0.008 है.गै.मु

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशांषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/92 दिनांक 12.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :-यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि कारशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज. मुब्लिक. बाबत. खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक. 24.3.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया